उत्तराखंड में सद्भावना सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरिद्वार में 'हर की पैड़ी'** के बाएँ तट पर, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने दो दिवसीय **'सद्भावना सम्मेलन'** का आयोजन किया।

- सम्मेलन में हज़ारों लोग एकत्र हुए, जिसमें मंत्री ने **आध्यात्मिकता और हिंदुओं के लिये** गंगा **के महत्त्व** पर बात की।

मुख्य बिंदु:

- **उत्तरी और पूर्वी भारत में 2,600 किलोमीटर** से अधिक की दूरी पर बहने वाली गंगा को देवी माना जाता है तथा यह हिंदुओं के लिये धार्मिक आस्था का केंद्र है
    - यह नदी छह राज्यों तथा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बीच एक केंद्रशासित प्रदेश में फैले गंगा नदी बेसिन में रहने वाली भारत की 1.4 अरब जनसँख्या में से 40% से अधिक के लिये **पीने के जल का स्रोत है।**
- जल शक्ति मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 30 लाख लीटर सीवेज प्रतिदिन गंगा में बहाया जाता है और उसमें से केवल आधा ही उपचारित किया जाता है।
    - फेकल/मल कोलीफॉर्म **बैक्टीरिया का एक समूह है** जो **उष्ण रक्तीय जीव-जंतुओं की आँत और मल** में पाया जाता है तथा इसका संदूषण मानव मल पदार्थ की उपस्थिति का संकेत देता है।
    - अनुमान है कि अकेले पवित्र शहर वाराणसी में प्रतिदिन नदी के किनारे 4,000 शव जलाए जाते हैं।
    - उत्तराखंड में बाँध नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे गर्मी के महीनों के दौरान कई स्थानों पर नदी धारा में बदल जाती है।
    - राज्य में जलविद्युत परियोजनाएँ ज़्यादातर नदी प्रवाह (ROR) पर आधारित हैं, सिवाय टिहरी बाँध परियोजना के, जो जलविद्युत विकास के लिये एक भंडारण परियोजना है और गैर-मानसूनी नदी के प्रवाह को बढ़ाती है।
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, नदी के किनारे 97 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 59 के नमूनों के परीक्षण में जनवरी 2023 में 70% स्थानों पर नदी में **मल कोलीफॉर्म** अनुमेय स्तर से ऊपर था।
    - वर्ष 2024 में, नमामि गंगे योजना, नदी को साफ करने और पुनर्जीवित करने के लिये विविध हस्तक्षेपों ने नदी में "प्रदूषण भार" को कम कर दिया।
    - पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बाहरी स्नान मानदंडों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अनुमोदित कार्य योजनाओं के माध्यम से **प्रदूषित नदी खंडों का कायाकल्प** किया जा रहा था।

//

नमामि गंगे कार्यक्रम

- नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में **केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था,** ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा **जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।**
- यह **कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)** और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **नमामि गंगे कार्यक्रम (2021-26) के दूसरे चरण** में राज्य परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने और गंगा के सहायक शहरों में परियोजनाओं के लिये विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - छोटी नदियों और **आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।** प्रत्येक प्रस्तावित गंगा ज़िले में कम-से-कम 10 आर्द्रभूमि हेतु वैज्ञानिक योजना और स्वास्थ्य कार्ड विकसित करना है तथा उपचारित जल एवं अन्य उत्पादों के पुन: उपयोग के लिये नीतियों को अपनाना है।